न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 178/2015

1. सरकार जरिये तहसीलदार बसवा।

बनाम

माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी ग्राम सोडाला पुजारीगण

1. कल्याण पुत्र रामधन
2. रामेश्वर पुत्र रामधन
3. राधेश्याम पुत्र रामधन
4. कैलाश पुत्र रामधन
5. घनश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण
6. बनवारी पुत्र लक्ष्मीनारायण
7. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण
8. मु0 शान्ति पत्नि लक्ष्मीनारायण
9. शिवकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण

   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सोडाला तहसील बसवा जिला दौसा।
10. बद्री पुत्र रामसहाय (फौत)

10/1 गंगादेवी पत्नि स्व0 बद्रीप्रसाद शर्मा पुरोहितो की ढाणी ग्राम सोडाला तह0 बसवा।
10/2 रामचरण पुत्र बद्रीप्रसाद वार्ड नं0 23 मधुवन कॉलोनी, सैनी विद्या मंदिर के पीछे बांदीकुई
10/3 निरंजन पुत्र बद्रीप्रसाद मकान नं0 28 हनुमान विस्तार कॉलोनी करतारपुरा जयपुर।
10/4 शारदा पत्नि रमेश चन्द शर्मा पुत्री बद्री हाल निवासी म0 नं0 S -16 80 फीट रोड, शापिंग सेन्टर, महेश नगर जयपुर।
10/5 सुशीला देवी पत्नि बाबूलाल पुत्री बद्री हाल नि0 राजपुर तह0 राजगढ जिला अलवर।
10/6 निर्मला देवी पत्नि द्वारकाप्रसाद पुत्री बद्रीप्रसाद नि0 राजपुर तह0 राजगढ जिला अलवर।
10/7 अनिता देवी पत्नि मोहनलाल पुत्री बद्रीप्रसाद हाल नि0 घेवर थाना टहला तह0 राजगढ जिला अलवर।
10/8 सुमन देवी पत्नि गजानन्द पुत्री बद्री
10/9 मीना देवी पत्नि मुकेश शर्मा पुत्री बद्री
हाल निवासी S -253, 254 80 फीट रोड, शापिंग सेन्टर, महेश नगर जयपुर।

11. बृजमोहन पुत्र रामसहाय
12. केदार पुत्र रामसहाय
13. संतोष पुत्र रामस्वरूप
14. महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप
15. बादाम पत्नि रामस्वरूप
16. किशोरीलाल पुत्र नारायण
17. बुद्धिप्रकाश पुत्र रामजीलाल
18. रिद्धि पुत्र रामजीलाल
19. पवन पुत्र रामजीलाल
20. प्रेम पत्नि स्व0 सीताराम
21. पंकज पुत्र सीताराम नाबालिग जरिए वली माता प्रेम पत्नि स्व0 सीताराम
22. दीपक पुत्र सीताराम नाबालिग जरिए वली माता प्रेम पत्नि स्व0 सीताराम
23. मोहन पुत्र कन्हैयालाल
24. महेश पुत्र कन्हैयालाल

    समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सोडाला तहसील बसवा जिला दौसा राज0

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

रेफरेन्स प्र0 सं0 178/2015

रेफरेन्स प्रकरण अर्न्तगत राज0 भू–राजस्व अधिनियम 82 के तहत सरकार जरिए तहसीलदार बसवा बनाम माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी ग्राम सोडाला पुजारीगण

उपस्थितिः राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: श्री रिद्धीचन्द शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 उपस्थित।
: श्री के0 कमलसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 5 लगायत 9, 10/2 व 10/3 एवं 13 लगायत 16 एवं 23 व 24 उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 8.11.2017

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ठाकुर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज बिराजमान ग्राम सोडाला की माफी मंदिर की भूमि तत्कालीन राजस्व ग्राम अनन्तवाडा की राजस्व सीमाओं में स्थित थी, जो कि एकीकरण खतौनी सम्वत 2018 के अनुसार खाता संख्या 343 खसरा नं0 358/1 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा खाता सं0 344 खसरा नं0 352/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा खाता सं0 345 खसरा नं0 352/3 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा खाता सं0 348 खसरा नं0 352/2 रकबा 2 बीघा एवं 358/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल भूमि 12 बीघा 7 बिस्वा माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जिसके पुजारीगण बद्री, ब्रजमोहन पि0 रामस्वरूप व रामस्वरूप, किशोर, रामजीलाल, जगदीश पि0 नारायण, प्रसाद पुत्र इन्दर जाति ब्राह्मण साकिन झूपडीन दर्ज चले आ रहे थे। इसी प्रकार खाता सं0 346 के खसरा नं0 357/3 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा एवं खाता सं0 347 के खसरा नं0 357/2 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी बहतमाम पुजारी रामनाथ पुत्र मुकुन्दा व रामनिवास पुत्र रघुनाथ दर्ज चली आ रही थी, तथा उसके कृषक बालाबक्श, रामधन पि0 रघुनाथ व कन्हैयालाल, लक्ष्मीनारायण पि0 रामनिवास दर्ज चले आ रहे है। उक्त भूमि माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी की खातेदारी में से हजफ कर पुजारीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई एवं माफी मंदिर लक्ष्मीनारायण जी का नाम खातेदारी कॉलम से हजफ कर दिया गया इसलिए यह रेफरेन्स माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी का नाम पुनः दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि एकीकरण खतौनी सं0 343, 344, 345, 346, 347, 348 सम्वत 2018 मूर्ति का नाम हजफ कर पुजारीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है, जो विधि के विपरीत है, चूंकि मूर्ति मंदिर लक्ष्मीनारायण जी शाश्वत नाबालिग है एवं उसकी खातेदारी भूमि किसी दीगर व्यक्ति या पुजारीगण के नाम दर्ज नहीं की जा सकती। राजस्व ग्राम अनन्तवाडा का वर्तमान में नया राजस्व गांव सोडाला बना दिया गया है तथा उक्त विवादित भूमि अब ग्राम सोडाला की राजस्व सीमाओं में आती हैं। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल बंदोबस्त सम्वत 2052 लगायत 2071 की कार्यवाही में उक्त भूमि के नये खसरा नम्बरान बना दिये गये है। भू प्रबन्ध कार्यवाही में उक्त भूमि के खसरा नं0 357/1/1 से खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 है0 व 463 रकबा 0.65 है0 बनाये जाकर उक्त भूमि किलाण पुत्र रामधन, हिस्सा 1/4 राहिन एस0बी0बी0जे0 शाखा बांदीकुई रामेश्वर, राधेश्याम पि0 रामधन हिस्सा 1/2 बिला रहन, कैलाश पुत्र रामधन हिस्सा 1/4 राहिन एस0बी0आई0 शाखा राजगढ दर्ज है।

अति0 जिला कलक्टर
बौरा

यह है कि उक्त साबिक खसरा नं0 357/3/2 के हाल नंबरान 449 रकबा 0.10 है0, 451 रकबा 1.03 है0 कायम कर उक्त भूमि घनश्याम, बनवारी, ओमप्रकाश पि0 लक्ष्मीनारायण, शान्ति बेवा लक्ष्मीनारायण हिस्सा 4/5 बिला रहन व शिव कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/4, राहिन एस0 बी0 आई शाखा बांदीकुई के नाम दर्ज कर दी।

यह है कि उक्त साबिक खसरा नम्बरान 358/2, 358/1, 352/3, 352/4, 352/1, 352/2 से नये खसरा नम्बरान 444 रकबा 0.53 है0, 445 रकबा 0.74 है0, 476 रकबा 0.22 है0 477 रकबा 0.63 है0, 478 रकबा 0.01 है0, 479 रकबा 0.52 है0, 480 रकबा 0.46 है0, 483 रकबा 0.07 है0, 484 रकबा 0.14 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 3.32 है0 कायम किये जाकर बद्री, ब्रजमोहन पि0 रामसहाय हिस्सा 1/3, केदार पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/6, राहिन एस0बी0आई0 शाखा राजगढ, संतोष, महेन्द्र पि0 रामस्वरूप, बादाम पत्नि रामस्वरूप हिस्सा 1/8, किशोरीलाल पुत्र नारायण हिस्सा 1/8, बुद्धि प्रकाश, रिद्धी, पवन पि0 रामजीलाल, विमला पत्नि स्व0 रामजीलाल हिस्सा 1/8, प्रेम पत्नि स्व0 सीताराम, पंकज, दीपक पि0 सीताराम नाबालिग संरक्षिका माता प्रेम हिस्सा 1/8 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई।

यह है कि साबिक खसरा नम्बर 357/3/1, 357 से हाल भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान नये खसरा नम्बर 446 रकबा 0.01 है0, 447 रकबा 0.79 है0, 448 रकबा 0.08 है0 450 रकबा 0.09 है0, 457 रकबा 0.04 है0, 458 रकबा 0.01 है0, 459 रकबा 0.01 है0, 460 रकबा 0.01 है0, 461 रकबा 0.07 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.11 है0, मोहनलाल, महेश पि0 कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण साकिन झूपडीन के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई।

यह है कि राजस्व ग्राम सोडाला के आराजी खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 है0 व 463 रकबा 0.65 है0, 449 रकबा 0.10 है0, 451 रकबा 1.03 है0, 444 रकबा 0.53 है0, 445 रकबा 0.74 है0, 476 रकबा 0.22 है0, 477 रकबा 0.63 है0, 478 रकबा 0.01 है0, 479 रकबा 0.52 है0, 480 रकबा 0.46 है0, 483 रकबा 0.07 है0, 484 रकबा 0.14 है0, 446 रकबा 0.01 है0, 447 रकबा 0.79 है0, 448 रकबा 0.08 है0, 450 रकबा 0.09 है0, 457 रकबा 0.04 है0, 458 रकबा 0.01 है0, 459 रकबा 0.01 है0 460 रकबा 0.01 है0, 461 रकबा 0.07 है0, कुल किता 22 कुल रकबा 6.41 है0 माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी की खातेदारी की भूमि है, परन्तु उक्त भूमि को बिना किसी अधिकार के पुजारीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, जो दुरूस्त किया जाना व उक्त पुजारीगण का नाम खातेदारी से हजफ कर पुनः माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस अर्ज किया कि भूमि विवदित माफी मंदिर भूमि है तथा अप्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि उक्त भूमि मंदिर की जागीरी की भूमि रही है। ऐसी स्थिति में जागीर उन्मूलन कानून से सम्बन्धित न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है, साथ ही अपनी बहस को आगे बढाते हुये उन्होने कहा चूकि भूमि माफी मंदिर की भूमि है, तथा ऐसी भूमि पर किसी अन्य को या पूजारी या व्यवस्थापक को कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अपने तर्को के सम्बन्ध में आर.आर.डी 2011 पेज 545 रामानन्द एवं अन्य बनाम ठाकुर जी श्री गोपाल जी महाराज व अन्य प्रस्तुत किया जिसमे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.डी 2014 पेज 337, आर.आर.डी पेज 594, आर.आर.डी 1990 पेज 88, आर. आर.डी 2010 पेज 231 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है।

बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 द्वारा राजकीय अधिवक्ता के कथन से मात्र इस कथन से सहमत होते हुए कि पूर्व में भूमि माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी के नाम खातेदारी में दर्ज थी परन्तु उक्त भूमि पर आधार वर्ष सम्वत् 2012 से भी पूर्व समय से उनके पूर्वज व हैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा उनके (अप्रार्थीगण समस्त के) पूर्वज की उक्त भूमि में खातेदार की हैसियत हो गई थी भले ही वो मन्दिर के पुजारी एवं व्यवस्थापक हो। ऐसी स्थिति

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

में यदि मन्दिर के नाम से भूमि हजफ भी कर दी गई है एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज कर दी गई है तो कोई कानूनी गलती नही की गई है। बहस को आगे बढाते हुए अधिवक्ता ने जाहिर किया कि बांदीकुई उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन है जो मन्दिर की भूमि के अलावा शेष खातेदारी की भूमि का किया गया पूर्व में तकास्मा को निरस्त करवाया जाने हेतु उद्घोषणा का वाद विचाराधीन है। जिससे इस प्रकरण की विवादित भूमि का कोई सरोकार नही है।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 5 लगायत 9, 13 लगायत 16 एवं 23 व 24 के द्वारा लिखित बहस द्वारा अवगत कराया कि तहसीलदार बसवा द्वारा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन नही किया गया एवं आवश्यक राजस्व अभिलेख का बिना अनुशीलन किये रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। रैफरेन्स के पैरा 'घ' में खसरा नं0 357/1/1 के नये खसरा नं0 462, 463 दर्ज किये है, जो गलत है। खसरा नं0 462 तथा 463 के पुराने खसरा नं0 357/2/1 रहे है। मिलान क्षेत्रफल से बखूबी प्रमाणित है। तहसीलदार द्वारा भूमि खसरा नं0 358/1, 358/2, 352/1, 352/2, 352/3, 357/2, 357/3 को माफी मंदिर ठाकुर जी श्री लक्ष्मीनारायण जी की माफी की होना बताकर उसको माफी मंदिर की दर्ज करने हेतु रेफरेन्स करने की इस्तदुआ की है। जबकि हकीकत में भूमि खसरा नं. 352/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा दौरान एकीकरण ख.न. 1322/1 व 1323/1 से बनी है जो बालाबक्स की खातेदारी में रही है। तथा ख.न. 352/3 भी बालाबक्स की खातेदारी में रही है। तथा खसरा न. 1314/2/1 व 1314/2/2 एवं 1310 एवं 1314/1 रामसहाय पुत्र शंकर की खातेदारी में रही है। तथा 1314/2 रामनिवास की खातेदारी में रही है। 1307/1, 1307/2, 1316, 1315 रामनारायण व रामनिवास की भूमियां रही है। इस लिये उक्त भूमियों को मूर्ति लक्ष्मीनारायण जी के नाम दर्ज नही कि जा सकती। अपने तथ्यो के समर्थन में आर आर डी 2000 राजस्थान हाईकोर्ट पेज 14 आर आर डी 2000 पेज 189 आर आर डी 1993 पेज 304 आर आर डी 1990 (1) पेज 161 व आर आर डी 1985 एन ओ सी 56 प्रस्तुत की है

हमने उभय पक्षो के तर्को एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे पाया कि तहसीलदार बसवा ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र के समर्थन में भूमि एकीकरण विभाग राजस्थान के खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2018 प्रस्तुत की है। तथा भू– प्रबन्धन विभाग का मिलान क्षेत्रफल समवत् 2052 से 71 प्रस्तुत किया है एवं जमाबन्दी समवत् 2072 लगायत 75 प्रस्तुत की है। खतौनी बन्दोबस्त के अवलोकन से प्रमाणित है कि सम्वत 2018 में ख.न. 358/1 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा 352/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा 352/3 रकबा 3 बिघा 3 बिस्वा 357/3 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा 357/2 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा 352/2 रकबा 2 बीघा, 358/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी के नाम सें दर्ज रिकार्ड है। तथा वर्तमान भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान उक्त ख.न. से नये ख.नम्बरान 444 लगायत 451 एवं 457 लगायत 463 एवं 476 लगायत 480 तथा 483, 484 कुल रकबा 6.41 है0 बने है। जो जमाबन्दी समवत् 2072 लगायत 75 में ख.न. 462 व 463 अप्रार्थी सं 01 लगायत 04 के नाम एवं ख. न. 449, 451 अप्रार्थी स. 05 लगायत 09 के नाम एवं ख.न. 444, 445, 476 लगायत 480 एवं 483, 484 बद्री, बृजमोहन पि. रामसहाय, केदार पुत्र रामसहाय, संतोष, महेन्द्र पि. रामस्वरूप, बादाम पत्नि रामस्वरूप, किशोरीलाल पुत्र नारायण, बुद्धिप्रकाश, रिद्धि, पवन पि. रामजीलाल, विमला पत्नि रामजीलाल, प्रेम पत्नि सीताराम, पंकज, दीपक पि. सीताराम, के नाम एवं ख.न. 446 लगायत 448, 450 एवं 457 लगायत 461 मोहनलाल, महेश पि. कन्हैयालाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि के मिलान क्षेत्रफल व साबिक राजस्व रिकार्ड एकीकरण की खतौनी के अवलोकन से भूमि मूर्ति मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी के नाम से खातेदारी में दर्ज है। मूर्ति मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी शाश्वत नाबालिग है। जिसकी खातेदारी को किसी अन्य को हस्तान्तरित नही किया जा सकता है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2018 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि भूमि तत्समय माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी पुजारी बालाबक्स, रामधन, रामनाथ, रामनिवास, रामसहाय की खातेदारी में दर्ज है तथा कॉलम संख्या 5 में इनके वारिसान

अति0 जिला कलक्टर
बौसा

कृषक के रूप में दर्ज है। पुजारी या पुजारी के वारिसान यदि मन्दिर माफी की भूमि पर काश्त करते हैं तो वह मूर्ति मन्दिर की ओर से ही खुदकाश्त किया जाना माना जावेगा। इस प्रकार उक्त काश्तकार चूकि तत्समय पुजारी की हैसियत से भूमि पर मूर्ति की तरफ से काबिज काश्त थे जिन्हे मूर्ति मन्दिर के विरूद्ध कानूनन प्रतिकूल कब्जाधारी या उपकृषक की श्रेणी में नही रखा जा सकता। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिनसे स्पष्ट प्रमाणित है कि विवादित भूमि वरवक्त एकीकरण व एकीकरण के पश्चात् माफी मूर्ति मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी की खातेदारी में रही है। ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो कि भूमि मंदिर की जागीरी भूमि थी या उक्त मंदिर की माफी रिज्यूम कर दी गई हो। साथ ही पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों में स्पष्ट है कि माफी मुर्ति मंदिर की भूमि चाहे किसी के भी द्वारा काश्त की जा रही हो वह मंदिर की और से ही काश्त किया जाना माना जावेगा तथा मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने के कारण उसके विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार किसी दीगर को नही दिये जा सकते। साथ ही यह भी प्रतिपादित किया गया है कि मूर्ति शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करने का दायित्व न्यायालय का भी है। अप्रार्थीगणों की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा नही होते है, ना ही अप्रार्थीगण की और से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित भूमि किस आदेश के तहत माफी रिज्यूम की गयी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्वस्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार बसवा को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावे एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करे। पत्रावली तहसीलदार बसवा को भिजवायी जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर दौसा

अति० जिला कलक्टर
दौसा

निर्णय आज दिनांक 8.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर दौसा

अति० जिला कलक्टर
दौसा